INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2023; 5(2): 198-199
Received: 22-10-2023
Accepted: 23-11-2023

Dr. Naveen Kumar
Assistant Professor,
Constituent Government College Sahaswan, Budaun, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author:
Dr. Naveen Kumar
Assistant Professor,
Constituent Government College Sahaswan, Budaun, Uttar Pradesh, India

भारतीय कृषि व्यवस्था और डॉ० भीमराव अम्बेडकर

Dr. Naveen Kumar

DOI: https://doi.org/10.22271/27069109.2023.v5.i2c.246

सारांश
भारतीय राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्र में डॉ० भीमराव अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होनें लगभग हर क्षेत्र में विचार प्रस्तुत किए उनके विचारों से समाज और राष्ट्र का कल्याण हुआ उन्हीं में से कृषि के क्षेत्र में उनके विचार आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में उपयोगी साबित हो रहे है। डॉ० अम्बेडकर ने कृषि को भारतीय उद्योग का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया इसके लिए समय–समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वे एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में दिखाई पड़ते है। साथ ही साथ भारतीय कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में दिए गए विचारों से वे कृषि वैज्ञानिक के रूप में प्रतीत होते है।

मुख्य शब्दः डॉ० भीमराव अम्बेडकर, कृषि, मिट्टी, सिचाई, बीज, चकबन्दी, सहकारी कृषि, खोती व्यवस्था

प्रस्तावना
भारत कृषि प्रधान देश है यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख समस्या देश के समक्ष खाद्यान्न संकट की थी जिसके लिए हमें कुछ समय दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा। देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से प्रयास किये गए। जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र था। फिर हरित क्रांति के माध्यम से तथा वर्तमान में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास शामिल है। कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत से क्रांतिकारी प्रयास किए गए उन प्रयासों की ओर बहुत से लोगों ने समय–समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन विचार देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में डॉ० भीमराव अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है।
अधिकांश लोग डॉ० भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ संविधानविद् मानकर उनके अन्य आयामों पर विचार न करके उनके साथ–साथ देश के साथ भी न्याय नहीं कर पाते है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर का समाज, धर्म राजनीति के साथ–साथ आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत देश की कृषि व्यवस्था के सन्दर्भ में उनके विचार बहुत ही तार्किक एवं वैज्ञानिक है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर का जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ था जिससे वह ग्रामीण भारत की परिस्थितियों से भली–भांति परिचित थे। ''भारत कृषि प्रधान देश है यहां कि अधिकांश जनता आज भी कृषि और मजदूरी पर निर्भर है। राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता को अन्य के रूप में जीवन प्रदान करने वाला किसान और कृषि मजदूर तमाम समस्याओं से जूझते रहते है। इसीलिए डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने चकबंदी, सहकारी खेती औद्योगिकीकरण पर अपने स्पष्ट विचार दिए''
डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें छोटी जोत से संबंधी समस्या हो या उपजाऊ मिट्टी तथा उर्वरक, सिंचाई एवं सरकारी सहायता से संबंधित हो उन्होंने अपने विचार बहुत ही व्यवहारिक ढ़ग से प्रस्तुत किए। डॉ० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ''यदि किसी किसान के पास श्रम की अधिकता तो है पर उतनी पूंजी नहीं है जिसे वह औजारों या खेती के उपकरणों में लगा सके। ऐसी स्थिति में उसकी खेती अलाभकारी नहीं कहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उत्पादन के अन्य कृषि साधनों के उपयोग के लिए पूंजी नहीं है। आवश्कता भूमि उपजाऊ तथा लाभकारी बनाने के लिए पर्याप्त श्रम एवं पूंजी दोनों अनिवार्य है।''
डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने सरकार द्वारा सामूहिक खेती की वकालत की वे छोटी किसानों एवं कृषिमजदूरों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध थे। डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समय–समय पर उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बाम्बे लेजेस्लेटिव काउसिंलिंग में काश्तकारी से संबंधित खोती किसान व्यवस्था उन्मूलन बिल प्रस्तुत किया। उन्होंने बिखरे हुए खेतों तथा छोटी जोतों की समस्या के समाधान के लिए चकबंदी तथा सहकारी कृषि का उपाय सुझाया।

वह सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के हितों के प्रबल समर्थक थे। राज्य द्वारा किसानों को बैंकों के माध्यम से रियायती दर पर ऋण, उपकरण, खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के पक्षधर थे।

बाबा साहब ने ''छोटी जोतों और उनका निष्कर्ष'' शीर्षक से एक लेख लिखा जो 1910 में जर्नल ऑफ दि इकोनोमिक इंडियन सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। भूमि सुधारों की ओर ध्यान देते हुए डॉ अम्बेडकर ने छोटे–छोंटे बिखरे खेतों की समस्या पर अपने विचार दिए। ''जहां जोतों की चकबंदी एक व्यवहारिक समस्या है। वहां उनका आकार बढा करना एक सैद्धान्तिक समस्या है। जिसमें आपको उस सिद्धान्त पर विचार करना पड़ेगा जिस पर जोतों का आकार निर्भर करता है। जोतों का आकार बढ़ा करने के सैद्धान्तिक प्रश्न पर विचार करने पर हम देखते है कि चकबंदी की समस्या के कारण दो प्रश्न खड़े होतें है।

1. वर्तमान में छोटी–छोटी और बिखरी हुई जोतों को कैसे स्वीकृत किया जाए?
2. एक बार चकबंदी हो जाने के बाद उनका वहीं आकार कैसे बरकरार रखा जाए?

डॉ अम्बेडकर चकबंदी के माध्यम से जोतों का आकार बढ़ाने के साथ–साथ पूंजीगत निवेशीपर अधिक ध्यान देते है। भूमि को जब तक पर्याप्त श्रम के साथ पर्याप्त पूंजी नहीं होगी तब तक उसे लाभकारी नहीं बनाया जा सकता।''

डॉ अम्बेडकर ने सहकारी कृषि को सामान्य क्षेत्रों के लिए उत्तम बताया। सहकारी खेती से न केवल गरीबी के खिलाफ संघर्ष में बल मिलेगा। अपितु लाभकारी छोटी जोत संपत्ति बंटवारे में भी कठिनाई कम होगी। उन्होंने छोटे किसानों को सहकारी कृषि के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जिससे वे मिलजुलकर उत्पादन करें और उससे लाभ प्राप्त करे। वे सभी लघु जोतों को सहकारी फॉर्म बनाने के इच्छुक थे। कृषि क्षेत्र में राज्य की सक्रिय भूमिका के कारण साधन हीन किसानों को विभिन्न कृषि संस्थाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाए। भू राजस्व वसूलने के नियम को उन्होंने आयकर से जोड़ा। आयकर आमदनी पर लिया जाता है तो फसल बर्बाद होने पर भू राजस्व क्यों वसूल किया जाता है?

डॉ अम्बेडकर ने भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कृषि की ओर ध्यान दिया। उन्होंने छोटे–छोटे किसानों एवं कृषि मजदूरों के हितों के लिए बहुत से प्रयास किए। ''अक्टूबर 1937 में डॉ अम्बेडकर का ध्यान खोती व्यवस्था की ओर गया। जब उन्होंने उसके उन्मूलन के लिए बाम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में एक बिल प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में यह खोती व्यवस्था छोटी–छोटी भूमि की काश्तकारी से संबंधित थी। इसकी शर्तों का नियमन आंशिक रूप से कानून से होता था। खोत काश्तकारी और रैयतवाड़ी काश्तकारी में थोड़ा सा अन्तर था। रैयतवाड़ी काश्तकारी में सरकार उन किसानों से सीधे राजस्व एकत्र करती थी। जिनके कब्जे में भूमि होती थी। परन्तु खोत काश्तकारी में सरकार राजस्व इकट्ठा करने में खोतों की सहायता लेती थी''।

खोत गांव का जमींदार होता था। वह गांव को गिरवी रख सकता था। तथा उसका विक्रय कर सकता था। वह शासन और काश्तकार के मध्य बिचौलिए के रूप में होता था। डॉ अम्बेडकर ने चुनाव के समय वचन दिया था कि खोती मनमानी से किसानों की सुरक्षा के लिए कानून बनवायेंगे। जिससे काश्तकारों की भूमि न हड़पी जा सके। ''डॉ अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद में खोती उन्मूलन बिल प्रस्तुत किया।

1. खोती व्यवस्था का उन्मूलन और सरकार तथा उन लोगों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना जिनके कब्जे में वह भूमि है। जो खोत के प्रबन्धन या लाभकारी उपभोग के अन्तर्गत आती है।
2. खोत के अधिकार की हानि के एवज में न्यायोचित क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान।
3. उन अधीनस्थ काश्तकारों को जो वास्तविक भूमि के मालिक है। लैन्ड रिवेन्यू कोड के अर्न्तगत कब्जाधारियों का स्तर प्रदान करना।
4. अन्य आकस्मिक उद्देश्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।''

आजादी के बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनमें कृषि की ओर ध्यान तो दिया गया किन्तु उसको लाभ का क्षेत्र बनाने के लिए सरकारी तथा निजी पूंजी निवेशकों का अभाव बना रहा। अतः कृषि क्षेत्र की उन्नति में अभी भी हम बहुत पिछे नजर आते हैं। डॉ अम्बेडकर ने उपजाऊ कृषि की ओर अमेरिका तथा अन्य यूरोपिय देशों द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की ओर इंगित किया जिन पर बाद में हरित क्रांति आदि के समय भारत सरकार ने ध्यान दिया। ''डॉ अम्बेडकर का प्रस्ताव था कि कृषि भी राज्य का उद्योग बने। और न कोई जमींदार हो, न काश्तकार न भूमिहीन मजदूर। आर्थिक
शोषण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए''।

डॉ अम्बेडकर द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए विचारों तथा वैधानिक कृत्यों के कारण उनकों कृषि विशेषज्ञ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संदर्भ

1. भारती, किरन 'डॉ0 भीमराव अवेडकर के अर्थिक विचार एंव प्रांसगिकता आकाश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स गाजियाबाद
2. जाटव, डी0आर0 डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक विचार समता सहित्य सदन, जयपुर।
3. अम्बेडकर, डॉ बाबा साहब राइटिंग एण्ड स्पीचिस, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. सिंह मोहन डॉ भीमराव अम्बेडकर व्यक्तिव के कुछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।